

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।  
पत्रांक 945 /14-1 मैनपुरी :दिनांक:सितम्बर 11 ,2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)  
साउथ ईस्ट, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

विषय:- साउथ ईस्ट यू0पी0 पांवर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी - उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित एवं 8.7003 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3552 हे0 संरक्षित एवं 12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1861 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक 8वी/यू0पी0/04/08/2025/एफ0सी0/308 दिनांक 09-09-2025

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है, के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसकी विन्दुवार अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। शर्त सं0 4 व 9 के अनुपालन में e-payment से ई- चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार होगी -

**शर्त सं0- 4 :-** प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/4/2008 में रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में डब्लूपी(सी) सं0 202/1995 और मंत्रालय द्वारा पत्र 5-1/1998 -एफ0सी0 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार (पीटी. II) दिनांक 18-9-2003 व पत्र सं0 5-2/2006 एफसी0 दिनांक 03-10-2006 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05-02-2009 एवं रिवाईज वर्तमान एन0पी0वी0 दर के तहत दिये गये आदेश दिनांक 06-01-2022 तथा दि0 19-01-2022 के क्रम में प्रभावित वन भूमि (1.5364हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 1887606.00 (अठारह लाख सतासी हजार छः सौ छः) कैम्पा फण्ड में जमा करना होगा।

**शर्त सं0- 9 :-** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे औषधीय पौधों के रोपण हेतु 3826104.00 (अड़तीस लाख छब्बीस हजार एक सौ चार मात्र) e-payment से ई- चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा करना होगा।

अतः आप उपरोक्तानुसार सूचित धनराशि सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कैम्पा निधि में ई-पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से भुगतान कर अन्य वर्णित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर 05 प्रतियों इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

**संलग्नक:- उपरोक्तानुसार**

  
(संजय कुमार मल्ल)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज  
पत्रांक ३७४/१४-१, कन्नौज, दिनांक, १४-०९-२०२५

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)  
एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०  
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

विषय:- साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन लि० द्वारा ७६५ के०वी० सिंगल सर्किट  
मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित १.५३६४ हे०  
संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व २३८ वृक्षों के पातन, कन्नौज में  
प्रभावित ०.३२ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व ०८ वृक्षों के पातन,  
कानपुर में प्रभावित ०.८१५५ हे० संरक्षित एवं ३.५५८३ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर  
वानिकी प्रयोग व ३९८ वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित ०.६८१३ हे० संरक्षित  
एवं ८.७००३ हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व १५०२ वृक्षों के पातन  
अर्थात् ३.३५३२ हे० संरक्षित एवं १२.२५८६ हे० आरक्षित वन भूमि कुल १५.६११८ हे०  
वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक २१४६ वृक्षों के पातन की अनुमति के  
सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय  
लखनऊ की पत्र संख्या ८बी/यू०पी०/०४/०८/२०२५/एफ०सी०/३०८ दिनांक  
०९.०९.२०२५ (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय  
लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कन्नौज की  
प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन  
सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु  
अग्रलिखित बिन्दुवार विवरण के अनुसार धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर)  
रसीद एवं वचनबद्धता प्रमाण की मूल हस्ताक्षरित प्रति सहित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर  
अपलोड कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. बिन्दु संख्या-१ के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि की वैधानिक  
स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. बिन्दु संख्या-२ के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले वर्णित वन भूमि में  
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से ३०प्र० कैम्पा, लखनऊ में  
जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 3- बिन्दु संख्या-३ के अनुसार वॉछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से ३०प्र० कैम्पा,  
लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4- बिन्दु संख्या-४ के अनुसार कन्नौज में प्रभावित हो रही ०.३२ हे० संरक्षित वनभूमि का शुद्ध  
वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रू० ३,०६,४९०.०० की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से  
३०प्र० कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध  
करायें।

B

C

5- बिन्दु संख्या-9 के अनुसार कन्नौज में प्रभावित हो रही वन भूमि में बौने पौधे के रोपण हेतु वॉछित धनराशि रू0 68,177.00 E-Payment Portal के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

यदि उक्त देय धनराशि के आगमन में कोई त्रुटि कालान्तर में परिलक्षित होती है अथवा उच्च स्तर से इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित धनराशि निम्नानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों (क्रम संख्या 01 से 34 तक) के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- यथोपरि

(डॉ० हेमन्त कुमार सेठ)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक \_\_\_\_\_ / दिनांकित \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।

(डॉ० हेमन्त कुमार सेठ)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर  
पत्रांक 1001/14-1 कानपुर, दिनांक, 11/09/2025

सेवा में,

✓ महाप्रबन्धक (पारेषण)

एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

विषय:- साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 08 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3532 हे० संरक्षित एवं 12.2586 हे० आरक्षित वन भूमि कुल 15.6118 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/04/08/2025/एफ0सी0/308 दिनांक 09.09.2025 (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद एवं वचनबद्धता प्रमाण की मूल हस्ताक्षरित प्रति सहित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. बिन्दु संख्या-1 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. बिन्दु संख्या-2 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले वर्णित वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 3- बिन्दु संख्या-3 के अनुसार वॉछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4- बिन्दु संख्या-4 के अनुसार कानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 4.3738 हे० वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रु० 53,73,607.00 की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 5- बिन्दु संख्या-9 के अनुसार कानपुर नगर में प्रभावित हो रही वन भूमि में बौने पौधे के रोपण हेतु वॉछित धनराशि रु० 46,57,387.00 E-Payment Portal के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सभी शर्तों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों (कम संख्या 01 से 34 तक) के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेस्तर कार्यवाही की जा सके।  
संलग्नक- यथोपरि

(दिव्या)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
कानपुर

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव वन प्रभाग, उन्नाव।

(दिव्या)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव  
पत्रांक १७८ / 14-1 दिनांक, 11 - सितम्बर, 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण),

साउथ ईस्ट उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन लि०,

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:-

साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन लि. द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3532 हे० संरक्षित एवं 12.2586 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यूपी/04/08/2025/एफसी/308 दिनांक 09.09.2025

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो उ०प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको एवं अन्य को पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रस्तावित साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन लि. द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निहित शर्तों पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही प्रश्नगत संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दि०-09.09.2025 में उल्लिखित बिन्दु सं०-1 से 34 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण इस कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

बिन्दु सं०-4 प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि-क्षेत्रफल-9.3816 हे०X957780 (प्रति हे० संशोधित दर) रू०-89,85,509.00 को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

बिन्दु सं०-9 प्रभावित 9.3816 हे० वनभूमि पर पारेषण लाइन के नीचे बौने प्रजाति के औषधि पौधों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू०-87,92,111.00 को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रू०-89,85,509.00 (रू०-नवासी लाख पच्चासी हजार पांच सौ नौ मात्र) पारेषण लाइन के नीचे बौने प्रजाति के औषधि पौधों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू०-87,92,111.00 (रू०-सत्तासी लाख बान्बे हजार एक सौ ग्यारह मात्र) ऑनलाइन पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में 01 प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इंगित बिन्दु सं०-1 से 34 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को 01 प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

~~प्रभागीय निदेशक~~  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव

पत्रांक / समदिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको पृष्ठांकित है, के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, का प्रमाण पत्र 01 प्रति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

पत्रांक— 724/सोनभद्र/33 ,दिनांक, रावर्टसगंज, ~~सोनभद्र~~ 10 ,2025।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव।

**विषय—** साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारिषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.3200हे0 संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 08 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 संरक्षित एवं 8.7003हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3532हे0 संरक्षित एवं 12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ—** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का पत्रांक—8बी/यू0पी0/04 /08/2025/एफ.सी./308दिनांक—09.09.2025 एवं आपका पत्रांक—957/14-1 दिनांक—12.09.2025।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृत में इस कार्यालय से अपेक्षित शर्त संख्या—2, 3, 21 एवं 22 की अनुपालन आख्या/वांछित धनराशि की मांग निम्नानुसार आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

शर्त संख्या	शर्त	वांछित आख्या/वांछित धनराशि																
2	Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 31.2236ha. Degraded Forest Lnad(DFL) at the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species as to be avoided. The details of CA are as follows:- <table border="1"><thead><tr><th>S. No.</th><th>Details of CA</th><th>CA Proposed in Area (Ha)</th><th>Name of Forest Division</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Rampur Compartment No- 5, Patna range</td><td>9.6298ha DFL</td><td>Sonbhadra Forest Division</td></tr><tr><td>2</td><td>Caura Compartment No- 5, Patna range</td><td>21.5938ha. DFL</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>31.2236 (DFL)</td><td></td></tr></tbody></table>	S. No.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division	1	Rampur Compartment No- 5, Patna range	9.6298ha DFL	Sonbhadra Forest Division	2	Caura Compartment No- 5, Patna range	21.5938ha. DFL			Total	31.2236 (DFL)		इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभाग के पटना रेंज अन्तर्गत क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु प्रस्तावित अवनत वनभूमि (रामपुर कं0नं0 5— 9.6298हे0 एवं चौरा कं0नं0 5— 21.5938हे0) पर स्थानीय, स्वदेशी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।
S. No.	Details of CA	CA Proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division															
1	Rampur Compartment No- 5, Patna range	9.6298ha DFL	Sonbhadra Forest Division															
2	Caura Compartment No- 5, Patna range	21.5938ha. DFL																
	Total	31.2236 (DFL)																

3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advanced with Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के पटना रेंज अन्तर्गत क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु प्रस्तावित अवनत वनभूमि (रामपुर कं०नं०-59.6298हे० एवं चौरा कं०नं०-21.5938हे०) पर स्थानीय, स्वदेशी प्रजातियों के रोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु कुल-67.754 लाख रुपये (स्रसठ लाख पछत्तर हजार चार सौ रू०) की आवश्यकता है।
21	The proposed Degraded Forest Land(DFL) for CA land shall be adequately fenced for complete protection using the chain link fencing at the cost of the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के पटना रेंज अन्तर्गत क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु प्रस्तावित अवनत वनभूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चेन लिंक बाड़ लगाने के लिये कुल-91.3 लाख रुपये (इक्क्यानवे लाख तीस हजार रू०) की आवश्यकता है।
22	Solar-powered pumps with borewell shall be installed at the CA (compensatory afforestation) site for irrigation purpose to ensure better survival of plants at the cost of User Agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के पटना रेंज अन्तर्गत क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु प्रस्तावित अवनत वनभूमि (रामपुर कं०नं० 5- 9.6298हे० एवं चौरा कं०नं० 5- 21.5938हे०) पर वृक्षारोपण की बेहतर जीवितता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो सोलर पम्प स्थापना हेतु रू०-16.69 लाख प्रति सोलर पम्प की दर से कुल-33.38 लाख रुपये (तींतीस लाख अड़तीस हजार रुपये) की आवश्यकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

  
(आशुतोष जायसवाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संख्या- अ / समदिनांक

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन लि०, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(आशुतोष जायसवाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।